



पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार

समग्र गव्य विकास योजना

(वित्तीय वर्ष 2025-26)

02 एवं 04 दुधारु मवेशी के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 75% तथा
अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान एवं 15 तथा
20 दुधारु मवेशी के लिए सभी वर्गों हेतु 40% अनुदान की योजना



गव्य विकास निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार

श्रीमती रेणु देवी
माननीय मंत्री
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग



संदेश

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार सृजन में गव्य विकास कार्यक्रमों की अहम भूमिका है। विगत वर्षों में गव्य विकास निदेशालय द्वारा समग्र गव्य विकास योजना के माध्यम से दुधारू मवेशी उपलब्ध कराकर राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं पशुपालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में अच्छी सफलता मिली है, लेकिन विकास की राह में अभी भी अनेक चुनौतियाँ हैं, जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता है।

समग्र गव्य विकास योजना पशुपालकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक जीवनरेखा है। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना का लक्ष्य राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर का सृजन, दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि, फसल अवशेष पराली का उपयोग तथा सभी व्यक्तियों के को दुग्ध के रूप में न्यूनतम पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। समग्र गव्य विकास योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/बेरोजगार युवक-युवतियों के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 02 एवं 04 दुधारू मवेशी/बाछी हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभूकों को 75 प्रतिशत तथा शेष वर्गों के लाभूकों को 50 प्रतिशत तथा 15 एवं 20 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर सभी वर्गों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देकर प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन करने के साथ-साथ दूध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बल मिलेगा।

सभी से अनुरोध है कि समग्र गव्य विकास योजना के तहत अपने मनोनुकूल दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई स्थापित करें तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान का लाभ उठायें तथा अपने एवं राज्य के विकास में योगदान करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि समग्र गव्य विकास योजना राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने एवं उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने में सफल होगा।


(रेणु देवी)

डॉ. एन. विजयलक्ष्मी, भा.प्र.से.

अपर मुख्य सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार



संदेश

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकासोन्मुखी कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ चलायी जा रही है। विभाग अन्तर्गत गव्य विकास निदेशालय के माध्यम से विगत वर्षों में समग्र गव्य विकास योजना के तहत पशुपालकों को बड़ी संख्या में दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

समग्र गव्य विकास योजना बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, पशुपालकों की आय बढ़ाने और डेयरी उद्योग को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली और आर्थिक उन्नति लाना चाहिती है। समग्र गव्य विकास योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/बेरोजगार युवक-युवतियों के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 02 एवं 04 दुधारू मवेशी/बाछी हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभूकों को 75 प्रतिशत तथा शेष वर्गों के लाभूकों को 50 प्रतिशत तथा 15 एवं 20 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर सभी वर्गों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देकर प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन करने के साथ-साथ दूध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बल मिलेगा।

विगत वर्षों में डेयरी प्रक्षेत्र की इन योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है एवं न्यूनतम पौष्टिक आहार के रूप में दूध एवं दुग्ध जन्य उत्पाद की उपलब्धता में भी बढ़ोतरी हुई है।

मुझे विश्वास है कि समग्र गव्य विकास योजना, राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि करने तथा डेयरी प्रक्षेत्र के कृषकों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सफल होगा।

(डॉ. एन. विजयलक्ष्मी)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत समग्र गव्य विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका

मार्ग निर्देशिका

- योजना का नाम :** समग्र गव्य विकास योजना
- योजना का उद्देश्य :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें विकास के मुख्यधारा में शामिल करना है ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान हो सके एवं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

इस योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के 02 एवं 04 दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है तथा 15 एवं 20 दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर सभी वर्गों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।
- कार्यक्षेत्र :** राज्य के सभी जिले में।
- पात्रता :** राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन/कृषकों/लघु कृषक/सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को शामिल किया जायेगा।
- योजना का क्रियान्वयन :** योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।
- इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस योजना के आवेदन पत्र गव्य विकास निदेशालय के वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन भरे जायेंगे। इस योजनान्तर्गत पिछले तीनों वर्षों में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से वैसे आवेदक जिन्हें योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है वैसे आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दी जायेगी।
- इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य निम्न होंगे :-
 - जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी-सदस्य सचिव
 - उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य
- स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण आवेदन को स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा जिला गव्य विकास कार्यालय को सूची के साथ सूचना उपलब्ध करायेंगे।
- योजना अन्तर्गत 15 एवं 20 दुधारु मवेशी की डेयरी इकाई हेतु प्राप्त आवेदनों का स्क्रीनिंग जिला स्तर पर की जायेगी। स्क्रीनिंग समिति से अनुशंसित आवेदनों को जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन गव्य विकास निदेशालय उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक(गव्य) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृति दी जायेगी। स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा।
- स्वीकृत डेयरी इकाई अन्तर्गत दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर का क्रय लाभुकों द्वारा अधिकृत पशु आपूर्तिकर्ता द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये दुधारु मवेशियों/बाछी-हिफर में से, गठित क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। पशुपालक राज्य के बाहर से भी पशु का क्रय निर्धारित आपूर्तिकर्ता से कर सकते हैं।
- दुधारु मवेशियों का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। स्वलागत की स्थिति में बैंक के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि को छोड़कर समिति में जिला गव्य विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे।

12. योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी सब्सिडी का भुगतान परियोजना शर्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं करना होगा। लाभूकों द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत आंशिक रूप में किये जाने की स्थिति में सब्सिडी का भुगतान भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही सब्सिडी का वितरण Backended होगी एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
13. स्वलागत के लाभूकों द्वारा योजना स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर तथा बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् मवेशी क्रय (Asset creation) के बाद निर्धारित नियम के अनुसार सब्सिडी की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्र आवेदक के ऋण खाता संख्या एवं उसके खाते में Disburse की गई राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिले के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाण-पत्र अंकित करते हुए सब्सिडी विमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
14. इस योजना के तहत लाभूकों के चयन में विभाग द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों, दुग्ध सहकारिता समिति के सदस्यों एवं जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।
15. इस योजना के लाभूकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
16. इस योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी लाभूकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभूक बैंक से ऋण ले अथवा स्वलागत से क्रय करें। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभूकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी यथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन (Asset creation) के पश्चात् ही सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जायेगा। पशु क्रय के पश्चात् लाभूक एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटोग्राफी किया जायेगा। दुधारू मवेशी के क्रय के पश्चात् मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगाना होगा तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि मवेशी में ईयर टैग लगा दिया गया है।
17. स्वलागत में उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी-हिफर का क्रय एक ही बार अथवा फेजवार करने के लिए लाभूक स्वयं स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ बैंक से स्वीकृत योजना में भी लाभूकों को स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे एकबार में पूरी योजना का लाभ लेंगे अथवा किस्तवार।
18. इस योजना के तहत 04 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी-हिफर की इकाई की स्थापना हेतु कम से कम 15 (पन्द्रह) डिसमिल तथा 15 एवं 20 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी-हिफर की इकाई की स्थापना हेतु कम से कम 30 (तीस) डिसमिल अपनी जमीन या लीज की जमीन हो ताकि वे हरा चारा का उत्पादन कर सकें।

निदेशक
गव्य विकास निदेशालय
बिहार, पटना

उन्नत नस्ल का 02 दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर योजना की आर्थिक रूप-रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँ:	उन्नत नस्ल की प्रत्येक दुधारु मवेशी, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक गाय 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर का ही क्रय किया जायेगा।	
2	तकनीकी मापदण्ड:		
	— एक इकाई में कुल दुधारु मवेशी की संख्या—		2
	— प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन—		12 लीटर
3	प्रति दुधारु मवेशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता:		
	(1) दूध देने की अवधि में—	हरा चारा —	20 कि. ग्रा.
		सूखा चारा—	5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार—	5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में—	हरा चारा —	15 कि. ग्रा.
		सूखा चारा—	7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार—	1 कि. ग्रा.
4	वित्तीय मापदण्ड:		
	एक दुधारु मवेशी की कीमत		रु. 60,000 /—
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य		रु. 45 /—
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि. ग्रा.		रु. 24 /—
	हरा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.		रु. 5 /—
	सूखा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.		रु. 7 /—
	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति मवेशी		रु. 15,000 /—
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय		रु. 20 /—
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी)		रु. 3,000 /—

योजना की रूप रेखा प्रति इकाई उन्नत नस्ल का 02 दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर

(I) पूँजीगत खर्च:

1.	दुधारु मवेशी-02	प्रति दुधारु मवेशी ₹ 60,000.00 की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (2 X 60,000)	1,20,000 /—
2.	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹1,20,000 X 6%	7,200 /—
3.	परिवहन व्यय	प्रति मवेशी ₹10,000 /— की दर से	20,000 /—
4.	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		26,800 /—
कुल राशि			1,74,000 /—

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप-रेखा

क्र.	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय	₹ 1,74,000 / –	₹ 1,74,000 / –
2.	लाभुक का अंशदान	₹ 8,700 / – (5%)	₹ 17,400 / – (10%)
3.	बैंक ऋण	₹ 1,65,300 / – (95%)	₹ 1,56,600 / – (90%)
4.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	₹ 1,30,500 / – (75%)	₹ 87,000 / – (50%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाइयों का आकलन निम्न प्रकार है:

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू मवेशी	2	2
2.	बाछा, बाछियाँ	2	1
कुल:		4	3

(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए $(5 \times 3 \times 300) = 45$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 700 /—	41,300 /—
	(ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए $(7 \times 3 \times 65) = 13.65$ क्विंटल (क+ख) = 58.65 क्विंटल, अर्थात् 59 क्विंटल		
2	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए $(20 \times 3 \times 300) = 180$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 500 /—	1,05,000/-
	(ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए $(15 \times 3 \times 65) = 29.25$ क्विंटल (क+ख) = 209.25 क्विंटल, अर्थात् 210 क्विंटल		
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए $(5 \times 2 \times 300) = 30$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 2,400 /—	84,000/-
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए $(1 \times 2 \times 65) = 1.30$ क्विंटल		
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष $(0.5 \times 2 \times 365) = 3.65$ क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 34.95 क्विंटल, अर्थात् 35 क्विंटल		
कुल योग: (1+2+3)			2,30,300/-

(IV) मूल्य हास एवं सूद:

(क)	दुधारू मवेशियों पर 12 प्रतिशत की दर से $(1,20,000 \times 12\%)$	14,400/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 11 प्रतिशत की दर से	
	(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति $34,800 \times 11\%$)	3,828/-
	(शेष वर्गों के लिए $69,600 \times 11\%$)	7,656/-
कुल योग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति):		18,228/-
कुल योग (शेष वर्गों के लिए):		22,056/-

(V) आय एवं व्यय:

(1) आय:

(क)	कुल उत्पादित दूध 7,000 ली. का मूल्य, रु. 45/— प्रति लीटर की दर से 45×7000 ली.	3,15,000/-
(ख)	1 बाछी की बिक्री रु. 26,000/— प्रति बाछी की दर से	26,000/-
(ग)	1 बाछा की बिक्री रु. 8,000/— प्रति बाछा की दर से	8,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (70×20)	1,400/-
(ङ)	गोबर की बिक्री से	6,000/-
कुल योग:		3,56,400/-

(1) आय:

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	2,30,300/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	7,200/-
(ग)	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	3,000/-
कुल योग:		2,40,500/-

लाभ	=	$(\text{आय} - \text{व्यय}) = \text{रु. } (3,56,400 - 2,40,500) = \text{रु. } 1,15,900/-$
विशुद्ध लाभ	=	$(\text{लाभ} - \text{मूल्य हास एवं सूद})$
अ.पि.व./अनु. जाति/जनजाति	=	$\text{रु. } (1,15,900 - 18,228) = \text{रु. } 97,672/-$
शेष वर्गों के लिए	=	$\text{रु. } (1,15,900 - 22,056) = \text{रु. } 93,844/-$
इस प्रकार दो दुधारू मवेशी की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रु. 97,564/- एवं शेष वर्गों के लिए रु. 93,628/- का विशुद्ध लाभ होगा।		

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

एनेक्सचर-2

उन्नत नस्ल का 04 दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर योजना की आर्थिक रूप-रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँ:	उन्नत नस्ल की प्रत्येक दुधारु मवेशी, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक गाय 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर का ही क्रय किया जायेगा।	
2	तकनीकी मापदण्ड:		
	— एक इकाई में कुल दुधारु मवेशी की संख्या—		2
	— प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन—		12 लीटर
3	प्रति दुधारु मवेशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता:		
	(1) दूध देने की अवधि में—	हरा चारा —	20 कि. ग्रा.
		सुखा चारा—	5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार—	5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में—	हरा चारा —	15 कि. ग्रा.
		सुखा चारा—	7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार—	1 कि. ग्रा.
4	वित्तीय मापदण्ड:		
	एक दुधारु मवेशी की कीमत		रु. 60,000 /—
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य		रु. 45 /—
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि. ग्रा.		रु. 24 /—
	हरा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.		रु. 5 /—
	सूखा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.		रु. 7 /—
	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति मवेशी		रु. 15,000 /—
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय		रु. 20 /—
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी)		रु. 3,000 /—

योजना की रूप रेखा प्रति इकाई उन्नत नस्ल का 04 दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर

(I) पूँजीगत खर्च:

1.	दुधारु मवेशी-02	प्रति दुधारु मवेशी ₹ 60,000.00 की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (4 X 60,000.00)	2,40,000 /—
2.	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹2,40,000 X 6%	14,400 /—
3.	परिवहन व्यय	प्रति मवेशी ₹10,000 /— की दर से	40,000 /—
4.	पशुशाला निर्माण	240 वर्ग फीट, प्रति वर्ग फीट ₹400 /— की दर से	96,000 /—
कुल राशि			3,90,400 /—

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप-रेखा

क्र.	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)	₹ 3,90,400 / –	₹ 3,90,400 / –
2.	लाभक का अंशदान	₹ 19,520 / – (5%)	₹ 39,040 / – (10%)
3.	बैंक ऋण	₹ 3,70,880 / – (95%)	₹ 3,51,360 / – (90%)
4.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान (Back Ended)	₹ 2,92,800 / – (75%)	₹ 1,95,200 / – (50%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाइयों का आकलन निम्न प्रकार है:

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू मवेशी	4	4
2.	बाछा, बाछियाँ	4	2
कुल:		8	6

(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य:

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए $(5 \times 6 \times 300) = 90$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 700 /—	82,600 /—
	(ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए $(7 \times 6 \times 65) = 27.30$ क्विंटल (क+ख) = 117.30 क्विंटल, अर्थात् 118 क्विंटल		
2	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए $(20 \times 6 \times 300) = 360$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 500 /—	2,09,500/-
	(ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए $(15 \times 6 \times 65) = 58.50$ क्विंटल (क+ख) = 418.50 क्विंटल, अर्थात् 419 क्विंटल		
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए $(5 \times 4 \times 300) = 60$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 2,400 /—	1,68,000/-
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए $(1 \times 4 \times 65) = 2.60$ क्विंटल		
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये $(0.5 \times 4 \times 365) = 7.30$ क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 69.90 क्विंटल, अर्थात् 70 क्विंटल		
कुल योग: (1+2+3)			4,60,100/-

(IV) मूल्य हास एवं सूद :

(क)	दुधारू मवेशियों पर 12 प्रतिशत की दर से $(2,40,000 \times 12\%)$	28,800/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 11 प्रतिशत की दर से	
	(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति $78,080 \times 11\%$)	8,589/-
	(शेष वर्गों के लिए $1,56,160 \times 11\%$)	17,178/-
कुल योग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति):		37,389/-
कुल योग (शेष वर्गों के लिए):		45,978/-

(V) आय एवं व्यय :

(1) आय :

(क)	कुल उत्पादित दूध 14,000 ली. का मूल्य, रु. 45/— प्रति लीटर की दर से	6,30,000/-
(ख)	2 बाछी की बिक्री रु. 26,000/— प्रति बाछी की दर से	52,000/-
(ग)	2 बाछा की बिक्री रु. 8,000/— प्रति बाछा की दर से	16,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (140×20)	2,800/-
(ङ)	गोबर की बिक्री से (3000×4)	12,000/-
कुल योग :		7,12,800/-

(1) आय :

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	4,60,100/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	14,400/-
(ग)	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	6,000/-
कुल योग :		4,80,500/-

लाभ	=	$(\text{आय} - \text{व्यय}) = \text{रु. } (7,12,800 - 4,80,500) = \text{रु. } 2,32,300/-$
विशुद्ध लाभ	=	$(\text{लाभ} - \text{मूल्य हास एवं सूद})$
अ.पि.व./अनु. जाति/जनजाति	=	$\text{रु. } (2,32,300 - 37,389) = \text{रु. } 1,94,911/-$
शेष वर्गों के लिए	=	$\text{रु. } (2,32,300 - 45,978) = \text{रु. } 1,86,322/-$
इस प्रकार चार दुधारू मवेशी की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रु. 1,94,911/- एवं शेष वर्गों के लिए रु. 1,86,322/- का विशुद्ध लाभ होगा।		

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

एनेक्सचर-3

उन्नत नस्ल का 15 दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर योजना की आर्थिक रूप-रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँ:	उन्नत नस्ल की प्रत्येक दुधारु मवेशी, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक गाय 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर का ही क्रय किया जायेगा।	
2	तकनीकी मापदण्ड:		
	— एक इकाई में कुल दुधारु मवेशी की संख्या—		15
	— प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन—		12 लीटर
3	प्रति दुधारु मवेशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता:		
	(1) दूध देने की अवधि में—	हरा चारा —	20 कि. ग्रा.
		सूखा चारा—	5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार—	5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में—	हरा चारा —	15 कि. ग्रा.
		सूखा चारा—	7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार—	1 कि. ग्रा.
4	वित्तीय मापदण्ड:		
	एक दुधारु मवेशी की कीमत		रु. 60,000 /—
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य		रु. 45 /—
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि. ग्रा.		रु. 24 /—
	हरा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.		रु. 5 /—
	सूखा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.		रु. 7 /—
	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति मवेशी		रु. 15,000 /—
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय		रु. 20 /—
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी)		रु. 3,000 /—

योजना की रूप रेखा प्रति इकाई उन्नत नस्ल का 15 दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर

(I) पूँजीगत खर्च:

1.	दुधारु मवेशी—15	प्रति दुधारु मवेशी रु. 60000 /— की दर से (प्रति वियान 3500 लीटर दूध देने की क्षमता) (15 X 60,000)	9,00,000 /—
2.	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹9,00,000 X 6%	54,000 /—
3.	पशुशाला निर्माण	900 वर्ग फीट, प्रति वर्ग फीट ₹400 /— की दर से	3,60,000 /—
4.	परिवहन व्यय	प्रति मवेशी ₹10,000 /— की दर से	1,50,000 /—
5.	मिल्कींग मशीन—1		70,000 /—
कुल राशि			15,34,000 /—

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप-रेखा

क्र.	विवरण	सभी वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)	₹ 15,34,000 / –
2.	लाभूक का अंशदान	₹ 1,53,400 / – (10%)
3.	बैंक ऋण	₹ 13,80,600 / – (90%)
4.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान (Back Ended)	₹ 6,13,600 / – (40%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाइयों का आकलन निम्न प्रकार है:

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू मवेशी	15	15
2.	बाछा, बाछियाँ	15	7
कुल:		30	22

(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य:

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए $(5 \times 22 \times 300)=330$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 700 /—	3,01,000 /—
	(ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए $(7 \times 22 \times 65)= 100.10$ क्विंटल (क+ख) = 430.10 क्विंटल, अर्थात् 430 क्विंटल		
2	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए $(20 \times 22 \times 300)=1320$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 500 /—	7,67,500/-
	(ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए $(15 \times 22 \times 65)= 214.50$ क्विंटल (क+ख) = 1534.50 क्विंटल, अर्थात् 1535 क्विंटल		
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए $(5 \times 15 \times 300)= 225$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 2,400 /—	6,28,800/-
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए $(1 \times 15 \times 65)= 9.75$ क्विंटल		
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये $(0.5 \times 15 \times 365)= 27.375$ क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 262.125 क्विंटल, अर्थात् 262 क्विंटल		
कुल योग: (1+2+3)			16,97,300/-

(IV) मूल्य हास एवं सूद :

(क)	दुधारू मवेशियों पर 12 प्रतिशत की दर से $(9,00,000 \times 12\%)$	1,08,800/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 11 प्रतिशत की दर से (सभी वर्गों के लिए $7,67,000 \times 11\%$)	84,370/-
कुल योग		1,92,370/-

(V) आय एवं व्यय:

(1) आय:

(क)	कुल उत्पादित दूध 52,500 ली० का मूल्य, रु. 45/- प्रति लीटर की दर से	23,62,500/-
(ख)	8 बाछी की बिक्री रु. 26,000/- प्रति बाछी की दर से	2,08,000/-
(ग)	7 बाछा की बिक्री रु. 8,000/- प्रति बाछा की दर से	56,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (525×20)	10,500/-
(ङ)	गोबर की बिक्री से (3000×15)	45,000/-
कुल योग:		26,82,000/-

(1) आय:

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	16,97,300/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	54,000/-
(ग)	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	22,500/-
(घ)	मजदूर खर्च प्रति माह रु. 9000/- की दर से प्रति वर्ष (02 मजदूर)	2,16,000/-
कुल योग:		19,89,800/-

लाभ	=	$(\text{आय} - \text{व्यय}) = \text{रु. } (26,82,000 - 19,89,800) = \text{रु. } 6,92,200/-$
विशुद्ध लाभ	=	$(\text{लाभ} - \text{मूल्य हास एवं सूद})$
सभी वर्गों के लिए	=	$\text{रु. } (6,92,200 - 1,92,370) = \text{रु. } 4,99,830/-$
इस प्रकार 15 दुधारू मवेशी की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में सभी वर्गों के लिए रु. 4,99,830/- का वशुद्ध लाभ होगा।		

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

एनेक्सचर-4

उन्नत नस्ल का 20 दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर योजना की आर्थिक रूप-रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँ:	उन्नत नस्ल की प्रत्येक दुधारु मवेशी, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक गाय 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर का ही क्रय किया जायेगा।	
2	तकनीकी मापदण्ड:		
	— एक इकाई में कुल दुधारु मवेशी की संख्या—		20
	— प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन—		12 लीटर
3	प्रति दुधारु मवेशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता:		
	(1) दूध देने की अवधि में—	हरा चारा —	20 कि. ग्रा.
		सूखा चारा—	5 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार—	5 कि. ग्रा.
	(2) विसुखी अवधि में—	हरा चारा —	15 कि. ग्रा.
		सूखा चारा—	7 कि. ग्रा.
		संतुलित पशु आहार—	1 कि. ग्रा.
4	वित्तीय मापदण्ड:		
	एक दुधारु मवेशी की कीमत		रु. 60,000 /—
	प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य		रु. 45 /—
	संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि. ग्रा.		रु. 24 /—
	हरा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.		रु. 5 /—
	सूखा-चारा का मूल्य प्रति कि. ग्रा.		रु. 7 /—
	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति मवेशी		रु. 15,000 /—
	प्रति गनी बैग बिक्री से आय		रु. 20 /—
	प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी)		रु. 3,000 /—

योजना की रूप रेखा प्रति इकाई उन्नत नस्ल का 20 दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर

(I) पूँजीगत खर्च:

1.	दुधारु मवेशी-20	प्रति दुधारु मवेशी रु. 60000 /— की दर से (प्रति वियान 3500 लीटर दूध देने की क्षमता) (20 X 60,000)	12,00,000 /—
2.	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹12,00,000 X 6%	72,000 /—
3.	पशुशाला निर्माण	1200 वर्ग फीट, प्रति वर्ग फीट ₹400 /— की दर से	4,80,000 /—
4.	परिवहन व्यय	प्रति मवेशी ₹10,000 /— की दर से	2,00,000 /—
5.	मिल्कींग मशीन-1		70,000 /—
कुल राशि			20,22,000 /—

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप-रेखा

क्र.	विवरण	सभी वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)	₹ 20,22,000 / –
2.	लाभूक का अंशदान	₹ 2,02,000 / – (10%)
3.	बैंक ऋण	₹ 18,19,800 / – (90%)
4.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान (Back Ended)	₹ 8,08,800 / – (40%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाइयों का आकलन निम्न प्रकार है:

क्र.	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू मवेशी	20	20
2.	बाछा, बाछियाँ	20	10
कुल:		40	30

(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य:

क्र.	मात्रा	दर (रु.)	मूल्य (रु.)
1	(क) सूखा चारा 05 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए $(5 \times 30 \times 300) = 450$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 700 /—	4,10,900 /—
	(ख) सूखा चारा 07 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए $(7 \times 30 \times 65) = 136.50$ क्विंटल (क+ख) = 586.50 क्विंटल, अर्थात् 587 क्विंटल		
2	(क) हरा चारा 20 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए $(20 \times 30 \times 300) = 1800$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 500 /—	7,67,500/-
	(ख) हरा चारा 15 कि. ग्रा. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए $(15 \times 30 \times 65) = 292.50$ क्विंटल (क+ख) = 2092.50 क्विंटल, अर्थात् 2093 क्विंटल		
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए $(5 \times 20 \times 300) = 300$ क्विंटल	प्रति क्विंटल रु. 2,400 /—	8,40,000/-
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि. ग्रा. प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए $(1 \times 20 \times 65) = 13$ क्विंटल		
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि. ग्रा. प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये $(0.5 \times 20 \times 365) = 36.50$ क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 349.50 क्विंटल, अर्थात् 350 क्विंटल		
कुल योग: (1+2+3)			20,18,400/-

(IV) मूल्य हास एवं सूद :

(क)	दुधारू मवेशियों पर 12 प्रतिशत की दर से $(12,00,000 \times 12\%)$	1,44,000/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 11 प्रतिशत की दर से (सभी वर्गों के लिए $10,11,000 \times 11\%$)	1,11,210/-
कुल योग		2,55,210/-

(V) आय एवं व्यय:

(1) आय:

(क)	कुल उत्पादित दूध 70,000 ली० का मूल्य, रु. 45/- प्रति लीटर की दर से	31,50,000/-
(ख)	10 बाछी की बिक्री रु. 26,000/- प्रति बाछी की दर से	2,60,000/-
(ग)	10 बाछा की बिक्री रु. 8,000/- प्रति बाछा की दर से	80,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (700×20)	14,000/-
(ङ)	गोबर की बिक्री से (3000×20)	60,000/-
कुल योग:		35,64,000/-

(1) आय:

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	20,18,400/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	72,000/-
(ग)	रख-रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	30,000/-
(घ)	मजदूर खर्च प्रति माह रु. 9000/- की दर से प्रति वर्ष (02 मजदूर)	2,16,000/-
कुल योग:		23,36,400/-

लाभ	=	(आय - व्यय) = रु. $(35,64,000 - 23,36,400)$ = रु. 12,27,600/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ - मूल्य हास एवं सूद)
सभी वर्गों के लिए	=	रु. $(12,27,600 - 2,55,210)$ = रु. 9,72,390/-
इस प्रकार 20 दुधारू मवेशी की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में सभी वर्गों के लिए रु. 9,72,390/- का वशुद्ध लाभ होगा।		

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र गव्य विकास योजना अंतर्गत अनुदान राशि निर्गत करने हेतु दावा विपत्र

बैंक एवं शाखा का नाम तथा पता:, पत्र/दावा विपत्र संख्या:, दिनांक:

मो0/दूरभाष संख्या :

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,

विषय:..... इकाई की स्थापना हेतु अनुदान राशि निर्गत करने के लिए दावा विपत्र के संबंध में।

1	उद्यमकर्ता का नाम—		
2	उद्यमकर्ता का पूर्ण पता—	ग्राम : पोस्ट : थाना : प्रखण्ड : जिला : पिनकोड : मो0/दूरभाष संख्या—	
3	कोटि—	सामान्य ☐ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग ☐ अनु. जाति ☐ अनु. जनजाति ☐	
4	स्थापित परियोजना का नाम एवं स्थापित ईकाई का आकार—		
5	परियोजना स्थापित करने के स्थान का नाम एवं पता—	ग्राम : पोस्ट : थाना : प्रखण्ड : जिला : पिनकोड :	
6	IFSC कोड के साथ अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक का खाता संख्या	बैंक खाता संख्या— IFSC कोड—	
7	परियोजना पर कुल लागत व्यय—	रु0	ब्याज दर— तिथि—
8	परियोजना हेतु कुल स्वीकृत ऋण एवं ब्याज दर—	रु0	
9	स्वीकृत ऋण का खाता संख्या एवं तिथि—	खाता सं0—	तिथि—
10	लाभूक द्वारा वहन किया गया मार्जिन मनी—	रु0	
11	ऋण खाता में अब तक विमुक्त राशि —	रु0	
12	लाभूक द्वारा वहन किया जाने वाला EMI —	रु0	
13	नियमानुसार परियोजना हेतु अनुदान राशि का दावा—		
	(i) दुधारू मवेशी हेतु —	रु0	
	(ii) पशु बीमा हेतु —	रु0	
	(iii) पशुशाला निर्माण हेतु —	रु0	
	(iv) परिवहन व्यय हेतु —	रु0	
	दावा की गयी कुल अनुदान राशि —	रु0	
14	परियोजना से संबंधित अन्य कोई जानकारी—		

अतः हम अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त उद्यमकर्ता के लिये राशि अनुदान के रूप में रु.....

(.....) मात्र विमुक्त किया जाय।

स्थान :

दिनांक :

अनिवार्य अनुलग्नक—

(i) पशु क्रय प्रतिवेदन। (ii) हाट का रसीद। (iii) पशु चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

(iv) पशु बीमा रसीद टैग नम्बर सहित। (v) लाभूक का स्थापित किये गये Asset के साथ रगीन फोटो।

बैंक के शाखा प्रबंधक का सील एवं हस्ताक्षर
(वित्त पोषक बैंक)

समग्र गव्य विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26
स्वलागत से अनुदान की राशि जारी करने हेतु दावा विपत्र (2 प्रति में)

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी.....

.....इकाई की स्थापना

1	लाभार्थी का नाम—	
	पिता/पति का नाम —	
2	ग्राम—	पोस्ट —
	थाना —	प्रखंड —
	पंचायत —	जिला —
3	कोटि —	मो. न.—
4	स्थापित परियोजना का नाम एवं इकाई का आकार —	
5	बैंक/शाखा का नाम —	
	बैंक का IFSC Code-	
6	परियोजना पर कुल लागत व्यय —	₹
7	लाभुक द्वारा वहन किया गया राशि —	₹
नियमानुसार परियोजना हेतु अनुदान राशि का दावा		
08	दुधारू मवेशी/बाछी-हिफर हेतु —	
	पशु बीमा हेतु —	₹
	पशुशाला निर्माण हेतु —	₹
	परिवहन हेतु —	₹
	साज-सज्जा हेतु —	₹
	दावा की गयी कुल राशि —	₹
	योजना की प्रगति —	₹

अनुरोध है कि अनुदान की राशि ₹.....

विमुक्त करने की कृपा की जाय।

तिथि:

आवेदक का हस्ताक्षर

पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (समग्र गव्य विकास योजना)

जिला का नाम—

दिनांक

पशु कैम्प/हाट एवं स्थान का नाम—

- 1 दुधारू मवेशी/बाछी-हिफर क्रेता का नाम:
- 2 पिता/पति का नाम:
- 3 क्रेता का पता: ग्राम: पोस्ट:
 थाना: प्रखण्ड:
 जिला: मो./दूरभाष संख्या:
- 4 वित्तीय संस्था का नाम (बैंक)/स्वलागत:
- 5 पशु का पहचान चिन्ह (डाटा इयर टैग न.):
- 6 पशु की जाति/नस्ल:
- 7 पशु का लिंग: रंग: अन्य चिन्ह:
- 8 पशु का उम्र: वर्ष: महीना:
- 9 पशु की उँचाई: फीट: ईंच:
- 10 पशु की लम्बाई: फीट: ईंच:
- 11 बियान की संख्या:
- 12 पशु क्रय की तिथि:
- 13 पशु का अनुमानित मूल्य:

पशु चिकित्सक का हस्ताक्षर

पशु चिकित्सक का नाम—

कार्यालय का नाम एवं मुहर—

पशु चिकित्सक का मो. न.—

उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी-हफर का क्रय प्रतिवेदन (समग्र गव्य विकास योजना)

कार्यालय का नाम-

बैंक का नाम/स्वलागत-

दिनांक

क्रं.	दुधारू मवेशी/बाछी-हफर का विवरण	नस्ल	उम्र	रंग	पहचान चिन्ह का विवरण	दुधारू मवेशी/बाछी-हफर का स्वास्थ्य	दूध की मात्रा (कि.ग्रा.)				दुधारू मवेशी/बाछी-हफर का मूल्य (रु.)	बीमा का विवरण टैग नम्बर सहित	अभ्युक्ति (डाटा ईयर टैग नं.)
							1	2	3	4			
							प्रथम दुहाई	द्वितीय दुहाई	तृतीय दुहाई	औसत दुहाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

लाभूक का नाम-

पिता/पति का नाम-

ग्राम/मु0-

पोस्ट-

थाना-

प्रखण्ड-

जिला नाम-

मो0/दूरभाष संख्या-

मैं अपने पसन्द का दूधारू मवेशी क्रय कर रहा/रही हूँ।

दुधारू मवेशी/बाछी- हफर का स्वास्थ्य परीक्षण मेरे द्वारा किया गया।
मवेशी स्वस्थ एवं निरोग है। क्रय की अनुशंसा की जाती है।

पशु चिकित्सक का हस्ताक्षर एवं मुहर
मो. सं.

लाभान्वित का हस्ताक्षर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

बैंक प्रबंधक
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

बीमा पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि क्रय किये गये दुधारू मवेशी को डाटा ईयर टैग लगा दिया गया है।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
या उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र गव्य विकास योजना अन्तर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान तथा शेष वर्ग के लिए 50% अनुदान पर 02 एवं 04 दुधारु मवेशी की डेयरी इकाई के स्थापना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि ₹0 में)

क्र.	जिला	02 दुधारु मवेशी				04 दुधारु मवेशी				कुल	
		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	46	4002000	7	913500	9	1756800	2	585600	64	7257900
2	रोहतास	46	4002000	6	783000	9	1756800	1	292800	62	6834600
3	कैमूर	40	3480000	7	913500	8	1561600	1	292800	56	6247900
4	अररिया	46	4002000	7	913500	8	1561600	2	585600	63	7062700
5	अरवल	42	3654000	7	913500	8	1561600	2	585600	59	6714700
6	जहानाबाद	46	4002000	8	1044000	9	1756800	2	585600	65	7388400
7	बांका	48	4176000	8	1044000	9	1756800	1	292800	66	7269600
8	भागलपुर	50	4350000	9	1174500	11	2147200	2	585600	72	8257300
9	गोपालगंज	46	4002000	7	913500	9	1756800	2	585600	64	7257900
10	पूर्वी चम्पारण	42	3654000	7	913500	8	1561600	2	585600	59	6714700
11	प0 चम्पारण	70	6090000	15	1957500	17	3318400	2	585600	104	11951500
12	जमुई	46	4002000	8	1044000	9	1756800	1	292800	64	7095600
13	किशनगंज	42	3654000	7	913500	8	1561600	2	585600	59	6714700
14	कटिहार	46	4002000	6	783000	8	1561600	2	585600	62	6932200
15	लखीसराय	46	4002000	7	913500	9	1756800	1	292800	63	6965100
16	बेगूसराय	48	4176000	7	913500	9	1756800	2	585600	66	7431900
17	मधुबनी	48	4176000	7	913500	8	1561600	2	585600	65	7236700
18	दरभंगा	46	4002000	6	783000	8	1561600	1	292800	61	6639400
19	समस्तीपुर	48	4176000	7	913500	8	1561600	2	585600	65	7236700
20	मधेपुरा	46	4002000	7	913500	8	1561600	1	292800	62	6769900
21	सहरसा	40	3480000	6	783000	8	1561600	2	585600	56	6410200
22	मुंगेर	50	4350000	8	1044000	10	1952000	2	585600	70	7931600
23	खगड़िया	48	4176000	8	1044000	10	1952000	2	585600	68	7757600
24	नालन्दा	70	6090000	15	1957500	17	3318400	2	585600	104	11951500
25	नवादा	40	3480000	6	783000	8	1561600	1	292800	55	6117400
26	गया	46	4002000	7	913500	9	1756800	2	585600	64	7257900
27	पूर्णिया	40	3480000	7	913500	10	1952000	1	292800	58	6638300
28	पटना	70	6090000	16	2088000	17	3318400	2	585600	105	12082000
29	भोजपुर	46	4002000	7	913500	9	1756800	1	292800	63	6965100
30	बक्सर	46	4002000	7	913500	9	1756800	1	292800	63	6965100
31	शेखपुरा	40	3480000	6	783000	8	1561600	1	292800	55	6117400
32	सीतामढ़ी	46	4002000	7	913500	8	1561600	2	585600	63	7062700
33	शिवहर	40	3480000	7	913500	8	1561600	1	292800	56	6247900
34	मुजफ्फरपुर	46	4002000	8	1044000	10	1952000	2	585600	66	7583600
35	सुपौल	46	4002000	7	913500	9	1756800	1	292800	63	6965100
36	सारण	50	4350000	8	1044000	10	1952000	2	585600	70	7931600
37	वैशाली	50	4350000	8	1044000	10	1952000	1	292800	69	7638800
38	सीवान	46	4002000	7	913500	9	1756800	1	292800	63	6965100
कुल		1798	156426000	295	38497500	359	70076800	60	17568000	2512	282568300

(रुपये अठाईस करोड़ पच्चीस लाख अड़सठ हजार तीन सौ) मात्र

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र गव्य विकास योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान पर 02 दुधारु मवेशी की डेयरी इकाई हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि ₹0 में)

क्र.	जिला	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		कुल	
		02 दुधारु मवेशी		02 दुधारु मवेशी			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	16	2088000	0	0	16	2088000
2	रोहतास	16	2088000	17	2218500	33	4306500
3	कैमूर	14	1827000	17	2218500	31	4045500
4	अररिया	15	1957500	17	2218500	32	4176000
5	अरवल	13	1696500	0	0	13	1696500
6	जहानाबाद	15	1957500	0	0	15	1957500
7	बांका	16	2088000	17	2218500	33	4306500
8	भागलपुर	16	2088000	22	2871000	38	4959000
9	गोपालगंज	15	1957500	20	2610000	35	4567500
10	पूर्वी चम्पारण	12	1566000	0	0	12	1566000
11	पश्चिम चम्पारण	28	3654000	24	3132000	52	6786000
12	जमुई	15	1957500	18	2349000	33	4306500
13	किशनगंज	15	1957500	22	2871000	37	4828500
14	कटिहार	15	1957500	17	2218500	32	4176000
15	लखीसराय	15	1957500	0	0	15	1957500
16	बेगूसराय	15	1957500	0	0	15	1957500
17	मधुबनी	16	2088000	0	0	16	2088000
18	दरभंगा	14	1827000	0	0	14	1827000
19	समस्तीपुर	16	2088000	0	0	16	2088000
20	मधेपुरा	16	2088000	17	2218500	33	4306500
21	सहरसा	14	1827000	17	2218500	31	4045500
22	मुंगेर	16	2088000	20	2610000	36	4698000
23	खगड़िया	15	1957500	0	0	15	1957500
24	नालन्दा	28	3654000	0	0	28	3654000
25	नवादा	15	1957500	0	0	15	1957500
26	गया	15	1957500	0	0	15	1957500
27	पूर्णिया	16	2088000	18	2349000	34	4437000
28	पटना	28	3654000	0	0	28	3654000
29	भोजपुर	16	2088000	15	1957500	31	4045500
30	बक्सर	16	2088000	15	1957500	31	4045500
31	शेखपुरा	13	1696500	0	0	13	1696500
32	सीतामढ़ी	15	1957500	0	0	15	1957500
33	शिवहर	12	1566000	0	0	12	1566000
34	मुजफ्फरपुर	16	2088000	0	0	16	2088000
35	सुपौल	15	1957500	17	2218500	32	4176000
36	सारण	17	2218500	17	2218500	34	4437000
37	वैशाली	17	2218500	0	0	17	2218500
38	सीवान	16	2088000	17	2218500	33	4306500
	कुल	613	79996500	344	44892000	957	124888500

(रुपये बारह करोड़ अड़तालीस लाख अठासी हजार पाँच सौ) मात्र

वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र गव्य विकास योजना अन्तर्गत सभी वर्ग के लिए 40% अनुदान पर 15 एवं 20 दुधारु दुधारु मवेशी/बाछी (हफर) की डेयरी इकाई के स्थापना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि ₹0 में)

क्र.	जिला	15 दुधारु मवेशी		20 दुधारु मवेशी		कुल	
		सभी वर्ग के लिए		सभी वर्ग के लिए			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	2	1227200	1	808800	3	2036000
2	रोहतास	2	1227200	1	808800	3	2036000
3	कैमूर	2	1227200	1	808800	3	2036000
4	अररिया	2	1227200	1	808800	3	2036000
5	अरवल	2	1227200	1	808800	3	2036000
6	जहानाबाद	2	1227200	1	808800	3	2036000
7	बांका	2	1227200	1	808800	3	2036000
8	भागलपुर	2	1227200	1	808800	3	2036000
9	गोपालगंज	2	1227200	1	808800	3	2036000
10	पूर्वी चम्पारण	2	1227200	1	808800	3	2036000
11	पश्चिम चम्पारण	2	1227200	1	808800	3	2036000
12	जमुई	2	1227200	1	808800	3	2036000
13	किशनगंज	2	1227200	1	808800	3	2036000
14	कटिहार	2	1227200	1	808800	3	2036000
15	लखीसराय	2	1227200	1	808800	3	2036000
16	बेगूसराय	2	1227200	1	808800	3	2036000
17	मधुबनी	2	1227200	1	808800	3	2036000
18	दरभंगा	2	1227200	1	808800	3	2036000
19	समस्तीपुर	2	1227200	1	808800	3	2036000
20	मधेपुरा	2	1227200	1	808800	3	2036000
21	सहरसा	2	1227200	1	808800	3	2036000
22	मुंगेर	2	1227200	1	808800	3	2036000
23	खगड़िया	2	1227200	1	808800	3	2036000
24	नालन्दा	2	1227200	1	808800	3	2036000
25	नवादा	2	1227200	1	808800	3	2036000
26	गया	2	1227200	1	808800	3	2036000
27	पूर्णिया	2	1227200	1	808800	3	2036000
28	पटना	2	1227200	1	808800	3	2036000
29	भोजपुर	2	1227200	1	808800	3	2036000
30	बक्सर	2	1227200	1	808800	3	2036000
31	शेखपुरा	2	1227200	1	808800	3	2036000
32	सीतामढ़ी	2	1227200	1	808800	3	2036000
33	शिवहर	2	1227200	1	808800	3	2036000
34	मुजफ्फरपुर	2	1227200	1	808800	3	2036000
35	सुपौल	2	1227200	1	808800	3	2036000
36	सारण	2	1227200	1	808800	3	2036000
37	वैशाली	2	1227200	1	808800	3	2036000
38	सीवान	2	1227200	1	808800	3	2036000
	कुल	76	46633600	38	30734400	114	77368000

(रुपये सात करोड़ तेहत्तर लाख अड़सठ हजार) मात्र

शपथ पत्र

समक्ष,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी

.....

मैं,

पिता/पति का नाम –

ग्राम –

पोस्ट –

प्रखंड –

जिला –

सघर्म एवं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि –

1. मैं बैंक द्वारा/स्वलागत वित्त पोषण के तहत समग्र गव्य विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 में डेयरी इकाई स्थापित करना चाहता/चाहती हूँ।
2. मैं समग्र गव्य विकास योजना के तहत मवेशी का क्रय जिला के अधिकृत आपूर्तिकर्ता/राज्य के बाहर के अधिकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रय समिति के समक्ष करने को तैयार हूँ।
2. मैं समग्र गव्य विकास योजना के तहत क्रय की गई मवेशी को तीन वर्ष के अन्दर बेच देता हूँ तो मेरे उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
3. मैं पशुशाला का निर्माण हो जाने के पश्चात् जिला के अधिकृत आपूर्तिकर्ता/राज्य के बाहर के अधिकृत आपूर्तिकर्ता से योजनानुसार मवेशी क्रय कर, मवेशी क्रय प्रतिवेदन, मवेशी का फोटो, आपूर्तिकर्ता का रशीद, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, शेड निर्माण विपत्र, शेड का फोटो एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति सभी कागजात की प्रति बैंक/कार्यालय को उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी।
4. मैं विभागीय राज्यादेश के अनुसार डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए तैयार हूँ।
5. मैंने विगत तीन वर्षों में इस योजना के तहत गव्य विकास कार्यालय,/गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं से अनुदान की राशि प्राप्त नहीं किया है।
6. उपरोक्त कथन के विरुद्ध कार्य करने पर मेरे उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जो मुझे मान्य होगा।

पहचान कर्ता का हस्ताक्षर

शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार हेतु
गव्य विकास की योजनाएँ अपनायें।



गौ पालन – सुख, समृद्धि और सम्मान

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गव्य विकास निदेशालय, बिहार सरकार

Website: <https://state.bihar.gov.in/ahd> | <https://dairy.bihar.gov.in>

Email: directordairy@gmail.com, Phone : 94710 07445 | Toll Free : 1800 345 6681

